पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस–विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में 11 एवं एन0बी0डब्लू0 में 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 01–09–2022

दिनांक 31/01–09–2022 को रात्रि थाना आशियाना 01, गुड़म्बा 02, हजरतगंज 01, मोहनलालगंज 01, नगराम 02, पी0जी0आई0 01, सैरपुर 02, तालकटोरा 01 एवं एन0बी0डब्लू0 में थाना कैन्ट 01, इन्दिरानगर 01 अभियुक्त गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में कुल 11 एवं एन0बी0डब्लू0 में 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

डी0सी0पी0 पश्चिमी

अवैध शराब के साथ गिरफ्तार।

थाना नाका–दिनांक 31.08.2022 को एस0आई0 श्री0 सुनील कुमार द्वारा मय हमराही फोर्स के दौराने गस्त अभियुक्त 01–रिंकू इस्लाम पुत्र समशुल निवासी चाँदीपुर थाना हरीश चन्द्रपुर जनपद मालदा पश्चिम बंगाल, हालपता–दाऊद नगर फैजुल्लागंज थाना मडियाँव जनपद लखनऊ को राजाजीपुरम टैक्सी स्टैण्ड थाना नाका से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से अवैध तरीके से बिक्री करते हुए 14 अदद क्वार्टर अवैध देशी शराब (200 एमएल) बरामद कर थाना नाका पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

थाना गाजीपुर–दिनांक 31.08.2022 को एस0आई0 श्री धर्मराज सिंह द्वारा मय हमराही फोर्स के दौराने गस्त अभियुक्त 01–अजय कुमार अवस्थी पुत्र वीरेन्द्र कुमार अवस्थी नि0–सेखना शाहपुर थाना लहरपुर जिला सीतापुर हालपता सेक्टर–19 रिंग रोड फुटपात थाना गाजीपुर लखनऊ उम्र लगभग 28 वर्ष को से0–19 व से0–21 के मध्य जाने वाले सड़क जंगल रोड मोड़ थाना गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 05 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर थाना गाजीपुर अभियोग पंजीकृत किया गया।

थाना गोसाईगंज–दिनांक 31.08.2022 को एस0आई0 श्री जितेन्द्र सिंह द्वारा मय हमराही फोर्स के दौराने गस्त अभियुक्त 01–अरून कुमार पुत्र आनन्द राम निवासी–ग्राम जगमत खेड़ा थाना गोसाईगंज लखनऊ को ग्राम रकीबाबाद पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर थाना गोसाईगंज पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

थाना पारा–दिनांक 31.08.2022 को एस0आई0 श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा मय हमराही फोर्स के दौराने गस्त अभियुक्त 01–नरेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 रौशन सिंह निवासी–आर्यनगर भातु कालोनी थाना पारा, लखनऊ को आर्यनगर भातु कालोनी थाना पारा से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर थाना पारा पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

भा0द0वि0

एक्सीडेंट।

थाना ठाकुरगंज–दिनांक 01.09.2022 को थाना ठाकुरगंज द्वारा बताया गया कि वादी श्री दीन दयाल पाण्डेय पुत्र स्व0 रामेश्वर पाण्डेय निवासी– ग्राम लखापुर त्रिवेदीगंज थाना लोनी कटरा जनपद बाराबंकी हालपता– किराये का मकान मोहल्ला रामनगर थाना सआदतगंज लखनऊ ने थाना ठाकुरगंज पर सूचना दिया कि दिनांक 01.09.2022 को समय करीब 00.45 बजे रात्रि को वादी का लड़का दीपक उम्र करीब 42 वर्ष खाना लेने बालागंज चौराहे पर आया था और खाना लेकर वापस आने के लिए सड़क क्रास कर रहा था कि तभी चौक की तरफ से कंटेनर नं0 यूपी 81 सीटी 4332 के चालक समीर पुत्र हनीफ खां निवासी–ग्राम नरूपुर थाना पाही मुकीमपुर जिला अलीगढ़ ने कंटेनर को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए वादी के पुत्र दीपक उपरोक्त को टक्कर मार दिया जिससे वादी के पुत्र दीपक की मौके पर ही मृत्यु हो गयी। **इस सूचना पर मु0अ0सं0 462/2022 धारा 279/304ए भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना एस0आई0 श्री अनिल कुमार सिंह द्वारा की जा रही है।**

ट्रेन एक्सीडेंट।

थाना सरोजनीनगर–दिनांक 01.09.2022 को थाना सरोजनीनगर द्वारा बताया गया कि श्री कमलेश पुत्र ईश्वरदीन निवासी–चकौली थाना काकोरी जनपद लखनऊ ने थाना सरोजनीनगर पर सूचना दिया कि दिनांक 01.08.2022 को उसका भांजा सुबनेश पुत्र प्रमोद निवासी–पुरवा थाना मलिहाबाद जनपद लखनऊ की पिपरसण्ड रेलवे स्टेशन के उत्तर पूर्व तरफ किसी ट्रेन की चपेट में आ जाने से मृत्यु हो गयी है, उसे जरिये टेलीफोन सूचना मिली तो आकर घटनास्थल पर देखा तो उसके भांजे सुबनेश उम्र 18 वर्ष की किसी अज्ञात ट्रेन की चपेट में आने से मृत्यु हो गयी है। **इस सूचना पर एस0आई0 श्री आशीष साहू मो0 7668566519 थाना सरोजनीनगर द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। जिनके द्वारा बताया गया कि मृतक अविवाहित था।**